पत्रांकः – खा०प्र० 06/चना (प्र0मजदूर)–01/20 2668

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग।

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखंड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

/राँची, दिनांक– 14/10/20

विषय :– **कोविड–19 संक्रमणकाल में राज्य के योग्य लाभुकों के बीच चना/दाल वितरण के संबंध में।**

प्रसंग :– आपका पत्रांक 535, दिनांक 15.09.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रसांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि राज्य में निम्न दो योजनाओं के तहत् संबंधित लाभुको को गोटा चना/दाल वितरण किया गया है/जा रहा है :–

1. **आत्मनिर्भर भारत योजना**– इस योजना के तहत् माह मई एवं जून 2020 के लिए 01 किलोग्राम गोटा चना प्रतिमाह के दर से प्रवासी मजदूरो के बीच दिनांक 31.08.2020 तक मुफ्त में वितरण किया गया है।

2. **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना**– इस योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित लाभुक परिवारों को माह अप्रैल से जून 2020 तक की अवधि के लिए एक किलोग्राम चना दाल प्रति परिवार प्रतिमाह मुफ्त में वितरण किया गया।

इस योजनान्तर्गत माह जुलाई से नवम्बर 2020 तक की अवधि के लिए भारत सरकार से प्राप्त गोटा चना का लाभुक परिवारो के बीच एक किलोग्राम प्रतिमाह प्रति परिवार निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।

उक्त से संबंधित दिशा–निर्देश/पत्र संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :– यथोक्त।

14/10/20

(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

PMGKAY 67 / 68

पत्रांक :– खा०प्र०–06 / दाल–01 / 2020 – 1783

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड (गढ़वा, चाईबासा एवं पलामू को छोड़कर)।

/ राँची, दिनांक – 13-07-2020

विषय :– **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत माह अप्रैल से जून 2020 तक के लिए आवंटित चना दाल की अवितरित मात्रा का सुपात्र लाभुकों के बीच अविलम्ब वितरण सुनिश्चित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुक परिवारों को माह अप्रैल से जून 2020 तक के अवधि के लिए "एक किलोग्राम दाल प्रति परिवार प्रतिमाह मुफ्त वितरण" हेतु राज्य के सभी जिलों को चना दाल उपलब्ध करायी जा चुकी है।

2. विभागीय समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जून माह बीत जाने के बावजूद अभी तक राज्य के अधिकांश जिलों में चना दाल की कुछ मात्रा अवशेष रह गई है (परिशिष्ट–क), जिसका अविलम्ब वितरण कराया जाना अनिवार्य है।

अतः उपर्युक्त वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि अवशेष चना दाल का शतप्रतिशत् वितरण लाभुकों के बीच दिनांक 20.07.2020 तक सुनिश्चित कराया जाए।

3. उपरोक्त वितरण के उपरान्त यदि चना दाल की मात्रा अवितरित रह जाती है तो, वितरित नहीं किये जाने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रस्ताव सहित प्रतिवेदन विभाग को दिनांक 20.07.2020 तक समर्पित किया जाए।

विश्वासभाजन,
13.7.20
(अरूण कुमार सिंह),
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–06 / दाल–01 / 2020 – 1783 / राँची, दिनांक :– 13-07-2020

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची / निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक से अनुरोध है कि अपने स्तर से भी शतप्रतिशत वितरण एवं अनुश्रवण करना सुनिश्चित किया जाय।

13.7.20
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

(91)

पत्रांक– खा०प्र० 06/दाल–01/20 1846

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
झारखण्ड, राँची।

/राँची, दिनांक– 20.07.20

विषय :– **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत माह जुलाई से नवम्बर, 2020 तक अवधि के लिए भारत सरकार से प्राप्त चना (गोटा) का त्वरित निःशुल्क वितरण सुनिश्चित कराने के संबंध में।**

प्रसंग :– भारत सरकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का पत्रांक– PS-03002/3/2020-PMC, दिनांक 09.07.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगाधीन पत्र के आलोक में निदेशित किया जाता है कि NAFED के संबंधित पदाधिकारियों के साथ पारस्परिक समन्वयन सुनिश्चित करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत माह जुलाई से नवम्बर, 2020 तक अवधि के लिए भारत सरकार से प्राप्त चना (गोटा) का लाभुक परिवारों के बीच त्वरित निःशुल्क वितरण सुनिश्चित कराए जाने हेतु अपने स्तर से समस्त आवश्यक कार्रवाई करते हुए नियमित रूप से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

विश्वासभाजन,

20.7.20

(अरूण कुमार सिंह),
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

D:\C.O. Food\Vikash Kumar-2020-21\Lovely Madam\Letter.doc34

परिशिष्ट–क

क्र० सं०	जिला का नाम	अवितरित मात्रा (किलोग्राम)		
		अप्रैल 2020	मई 2020	जून, 2020
1	राँची	711	474	455
2	खूँटी	860	1,760	2,660
3	गुमला	-	823	823
4	सिमडेगा	-	436	736
5	लोहरदगा	1,385	1,177	1,177
6	जमशेदपुर	610	1,55,410	52,230
8	सरायकेला	-	-	2,166
11	लातेहार	420	70	70
12	गिरिडीह	-	-	49,386
13	हजारीबाग	3,175	6,190	18,573
14	चतरा	-	-	10,077
15	रामगढ़	1,003	1,650	1,750
16	कोडरमा	-	2,012	8,318
17	धनबाद	851	851	4,678
18	बोकारो	5,928	5,928	4,565
19	जामताड़ा	-	-	7,207
20	देवघर	-	-	31,491
21	दुमका	830	2,096	1,420
22	गोड्डा	2,137	2,229	2,290
23	पाकुड़	827	1,240	4,609
24	साहेबगंज	9	3,938	3,938
	कुल	**18,746**	**1,86,284**	**2,08,619**

पत्रांक :– खा०प्र० 06 / चना (प्र० मजदूर)–01 / 20 खा० 2034

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

सतीश चन्द्र चौधरी, भा०प्र०से०
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

/ राँची, दिनांक – 10.08.20.

विषय :– **आत्मनिर्भर भारत के तहत राज्य में COVID-19 संक्रमण की विपदा को दृष्टिगत रखते हुए प्रवासी / फंसे हुए प्रवासी मजदूरों (Migrant/Stranded Migrant Workers) एवं गैर NFSA सुपात्र परिवार को माह मई एवं जून 2020 के लिए 01 किलोग्राम चना प्रति प्रवासी मजदूर तथा गैर NFSA सुपात्र परिवार को प्रतिमाह मुफ्त में उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग :– भारत सरकार के पत्रांक PS-03002/2/2020-PMC, दिनांक 10.07.2020, विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 1307, दिनांक 29.05.2020 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या–1818, दिनांक 16.07.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आत्म निर्भर भारत योजना के तहत् माह मई एवं जून, 2020 के लिए 1 किलोग्राम चना प्रतिमाह की दर पर प्राथमिकता के आधार पर प्रति सुपात्र प्रवासी मजदूर तथा ऐसे सुपात्र प्रवासी मजदूर की अनुपलब्धता के आलोक में "पहले आओ पहलो पाओ" की तर्ज पर गैर NFSA सुपात्र परिवार के बीच दिनांक 31 जुलाई, 2020 तक मुफ्त में वितरण सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया था।

विभागीय समीक्षा के क्रम में पाया गया कि संबंधित योजनान्तर्गत दिनांक 31.07.2020 तक 85.86% चना (गोटा) का वितरण हुआ है।

2. इस क्रम में भारत सरकार के पत्रांक– PS-03002/2/2020-PMC, दिनांक 10.07.2020 द्वारा आत्म निर्भर भारत योजनान्तर्गत चिन्हित प्रवासी मजदूरों को माह मई एवं जून, 2020 के लिए 01 किलोग्राम चना (गोटा) वितरण कराने की अवधि को दिनांक 31.08.2020 तक विस्तारित करने का निदेश दिया गया है।

साथ ही, भारत सरकार के पत्रांक– PS-03002/3/2020-PMC, दिनांक 27.07.2020 द्वारा निदेशित किया गया है कि इस योजनान्तर्गत कोई भी योग्य लाभुक इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे।

3. अतः अनुरोध है कि आत्म निर्भर भारत योजना के तहत् माह मई एवं जून, 2020 के लिए 1 किलोग्राम चना प्रतिमाह की दर पर प्राथमिकता के आधार पर प्रति सुपात्र प्रवासी मजदूर तथा ऐसे सुपात्र प्रवासी मजदूर की अनुपलब्धता के आलोक में "पहले आओ पहलो पाओ" की तर्ज पर गैर NFSA सुपात्र परिवार के बीच दिनांक 31.08.2020 तक मुफ्त में वितरण करने हेतु विस्तारित किया जाता है।

साथ ही, इस अवधि तक चना (गोटा) का वितरण संबंधित लाभुक को शतप्रतिशत कराना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,

10.8.20

(सतीश चन्द्र चौधरी),
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\C.O. Food\Vikash Kumar-2020-21\Lovely Madam\Letter.doc50

पत्रांक – खा०प्र०–06 / चना (प्र०मजदूर)–01 / 2020– 1818

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

/ राँची, दिनांक – 16.07.20

विषय :– आत्मनिर्भर भारत के तहत राज्य में **COVID-19** संक्रमण की विपदा को दृष्टिगत रखते हुए प्रवासी / फंसे हुए प्रवासी मजदूरों **(Migrant/Stranded Migrant Workers)** के अलावा "पहले आओ पहले पाओ" की तर्ज पर गैर **NFSA** सुपात्र परिवार को माह मई एवं जून 2020 के लिए 1 किलोग्राम चना प्रति प्रवासी मजदूर गैर **NFSA** सुपात्र परिवार को प्रतिमाह मुफ्त में उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– भारत सरकार के पत्रांक–7–1 / 2019–B.P III(Pt.)(ii), दिनांक 22.05.2020 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 1307, दिनांक 29.05.2020।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा भारत सहित सम्पूर्ण विश्व में कोरोना (Covid-19) जैसे घातक वॉयरस के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार प्रायोजित योजना *"आत्मनिर्भर भारत"* के तहत प्रवासी / फंसे हुए प्रवासी मजदूर को माह मई एवं जून 2020 के लिए 1 किलोग्राम चना प्रति प्रवासी मजदूर प्रतिमाह मुफ्त में उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया था।

2. राज्य के विभिन्न जिलों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि राज्य के अधिकांश प्रवासी मजदूर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आच्छादित हैं, जिसके फलस्वरूप प्रसंगाधीन योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये संपूर्ण चना का वितरण संभव नहीं हो पा रहा है।

3. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के गोदामों की भौतिक स्थिति एवं भण्डारण क्षमता तथा राज्य में मानसून के दस्तक को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित योजनान्तर्गत चना (गोटा) का वितरण यथाशीघ्र किया जाना अनिवार्य प्रतीत होता है, ताकि कालक्रम में किसी प्रकार की प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न न होने पाए।

4. इस क्रम में भारत सरकार के पत्रांक–7–1 / 2019–B.P III(Pt.)(ii), दिनांक 22.05.2020 (परिशिष्ट–1) के माध्यम से निदेशित किया गया है कि संबंधित योजनान्तर्गत प्रवासी मजदूरों / फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के साथ वैसे व्यक्तियों को भी लाभान्वित किया जा सकता है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा राज्य के PDS कार्ड योजना के तहत आच्छादित नहीं है।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत माह मई एवं जून 2020 के लिए 1 किलोग्राम चना प्रतिमाह की दर पर प्राथमिकता के आधार पर प्रति सुपात्र प्रवासी मजदूर तथा ऐसे सुपात्र प्रवासी मजदूर की अनुपलब्धता के आलोक में "पहले आओ पहले पाओ" की तर्ज पर गैर NFSA सुपात्र परिवार के बीच दिनांक 31 जुलाई 2020 तक मुफ्त में वितरण सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है।

6. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 1307, दिनांक 29.05.2020 को उपर्युक्त कंडिका–5 के अनुसार यथास्थान संशोधित समझा जाए।

7. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

8. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
16.7.20
(अरूण कुमार सिंह),
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः–खा०प्र०–06 / चना (प्र०मजदूर)–01 / 2020– 1818 / राँची, दिनांक – 16.07.20

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / सभी उपायुक्त / निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड / राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एनआईसी, राँची / श्रीमती शिवानी कोड़ाह, तकनीकी निदेशक, एनआईसी, राँची / महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम / सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी / सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम / सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय / अवर सचिव, प्रशाखा–3 (बजट प्रशाखा) / विभागीय प्रभारी कम्प्यूटर ऑपरेटर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.7.20
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

(17)

पत्रांक – खा०प्र०–06 / चना (प्र०मजदूर)–01 / 2020–1307

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

/ राँची, दिनांकः– 29.05.2020

विषय :– **आत्मनिर्भर भारत के तहत राज्य में COVID-19 संक्रमण की विपदा को दृष्टिगत रखते हुए प्रवासी / फंसे हुए प्रवासी मजदूरों (Migrant/Stranded Migrant Workers) को माह मई एवं जून 2020 के लिए 1 किलोग्राम चना प्रति प्रवासी प्रतिमाह मुफ्त उपलब्ध कराने हेतु 24.60 (चौबीस लाख साठ हजार) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंग :– खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार का अर्धसरकारी पत्र संख्या PS03002/2/2020-PMC, दिनांक 15.05.2020 ।

महाशय,

भारत सहित सम्पूर्ण विश्व कोरोना (Covid-19) जैसे घातक वॉयरस के प्रकोप से ग्रसित है। इस वॉयरस के प्रकोप के कारण आम जन-जीवन के साथ रोजगार भी प्रभावित हुआ है जिसका सबसे ज्यादा असर प्रवासी मजदूरों पर पड़ा है। परिणाम स्वरूप राज्य में प्रवासी मजदूरों का आगमन हो रहा है, जिनके भोजन की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है।

2. उपर्युक्त अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा *"आत्मनिर्भर भारत"* के तहत प्रवासी को माह मई एवं जून 2020 के लिए 1 किलोग्राम चना प्रति प्रवासी मजदूर प्रतिमाह मुफ्त में उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. इस क्रम में भारत सरकार के पत्रांक–PS03002/2/2020-PMC, दिनांक 15.05.2020 (परिशिष्ट--1) के माध्यम से दो माह यथा–मई एवं जून, 2020 के लिए 1142.32 एमटी चना का आवंटित किया गया है।

4. संबंधित पत्र में निदेशित किया गया है कि उक्त आवंटित चना का वितरण वैसे प्रवासी मजदूरों के बीच किया जायेगा, जो वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा राज्य के PDS कार्ड स्कीम के तहत आच्छादित नहीं हैं।

5. भारत सरकार द्वारा आवंटित चना का जिलावार उपावंटन प्रवासी मजदूरों की संख्या के आधार पर निम्नवत प्रकार से किया जाता है –

(मात्रा एमटी में)

क्र० सं०	जिला का नाम	दो माह के लिए आवंटन (मई एवं जून 2020)
1	2	3
1	बोकारो	51.473
2	चतरा	50.343
3	देवघर	53.994
4	धनबाद	39.188
5	दुमका	44.551

6	गढ़वा	
7	गिरिडीह	115.192
8	गोड्डा	292.554
9	गुमला	69.463
10	हजारीबाग	9.525
11	जामताड़ा	51.439
12	खूँटी	20.265
13	लातेहार	6.043
14	लोहरदगा	33.857
15	पाकुड़	5.167
16	पलामू	10.409
17	रामगढ़	139.452
18	राँची	11.275
19	सिमडेगा	23.273
20	कोडरमा	5.245
21	साहेबगंज	34.010
22	सरायकेला	40.524
23	जमशेदपुर	5.015
24	चाईबासा	12.651
	कुल	17.412
		1142.320

6. भारत सरकार द्वारा यह भी निदेशित किया गया है उक्त आवंटित चना के वितरण हेतु लाभुकों की पहचान राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। इस दृष्टिकोण से सभी जिलों के उपायुक्तों द्वारा ऐसे प्रवासी मजदूरों की पहचान करते हुए चना का वितरण किया जायेगा, जो वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित नहीं हैं।

इस क्रम में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) द्वारा समस्त आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा।

जिलावार प्रवासी मजदूरों की सूची जिला स्तर पर सधारित करते हुए तत्संबंधी सूचना खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड को उपलब्ध करायी जायेगी। निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड द्वारा संबंधित योजनान्तर्गत लाभुकों के चयन, चना का उठाव, वितरण, इत्यादि का व्यापक अनुश्रवण किया जायेगा।

7. भारत सरकार द्वारा प्रवासी/फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे चना का उठाव भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से किया जायेगा तथा माह मई एवं जून 2020 हेतु अनुमान्य 10 किलोग्राम चना का वितरण जनवितरण प्रणाली दुकान के माध्यम से 1 जून 2020 से आरंभ करते हुए 30 जून 2020 तक सम्पन्न कर लिया जायेगा।

वर्तमान में खाद्यान्न के उठाव, परिवहन एवं वितरण पर निम्न रूप से व्यय भारित होता है:-

(राशि रूपये प्रति क्विंटल में)

JSFC को देय संचलन अनुदान	डोर स्टेप डिलिवरी	डीलर कमीशन	कुल
75.00	40.00	100.00	215.00

इस आधार पर चना के उठाव, परिवहन एवं वितरण पर कुल 215 रूपये प्रति क्विंटल की दर से व्यय अनुमानित होगा। इस क्रम में उक्त आवंटित सम्पूर्ण चना के उठाव, परिवहन एवं वितरण पर वर्तमान व्यवस्था के तहत रूपये 24.60 लाख का संभावित व्यय भारित होगा।

8. भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–PS03002/2/2020-PMC, दिनांक 15.05.2020 द्वारा निदेशित किया गया है कि प्रवासी मजदूरों को मुफ्त मे चना उपलब्ध कराने हेतु चना के परिवहन, डीलर कमीशन, इत्यादि पर भारत सरकार द्वारा राशि व्यय की जायेगी।

विदित हो कि "खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम, 2015" अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 636(अ), दिनांक 17.08.2015 के अनुसार भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चना के Intra State Movement & Handling तथा डीलर मार्जिन पर राज्य सरकार को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता राशि का निर्धारण निम्नवर्णित प्रकार से किया गया है :–

(राशि रूपये प्रति क्विंटल में)

Intra-State movement and handling	Dealers' margin		Total
	Basic	Additional margin for sale through point of sale device	
65.00	70.00	17.00	152.00

9. इस दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा Intra-State transportation, dealers' margin/additional dealers' margin पर सम्पूर्ण राशि का भार वहन किये जाने के क्रम में उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार भारत सरकार द्वारा संबंधित मदों पर 152 रूपये प्रति क्विंटल की दर से राशि अनुमान्य होती है।

10. भारत सरकार से प्राप्त चना के उठाव, परिवहन एवं वितरण व्यवस्था पर होने वाले व्यय का वहन प्रथमतः भारत सरकार से संबंधित मदों में प्राप्त निधि एवं शेष राशि का व्यय राज्य निधि से किया जायेगा।

11. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आत्मनिर्भर भारत के तहत राज्य में COVID-19 संक्रमण की विपदा को दृष्टिगत रखते हुए प्रवासी/फंसे हुए प्रवासी मजदूरों (Migrant/Stranded Migrant Workers) माह मई एवं जून 2020 के लिए 1 किलोग्राम चना प्रति प्रवासी प्रतिमाह मुफ्त में उपलब्ध कराने हेतु रूपये 24.60 (चौबीस लाख साठ हजार) की स्वीकृति *बजटशीर्ष–3456–सिविल पूर्ति–उप शीर्ष–61–चना वितरण योजना–06–अनुदान–52–सब्सिडी* के अंतर्गत प्रक्षेत्रवार निम्नवत् प्रदान की जाती है, जिसकी ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश संख्या– 352 है –

(राशि रूपये में)

क्र० सं०	प्रक्षेत्र का नाम	उपबंधित राशि	वर्तमान में स्वीकृति
1	जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना (18S345600796610652)	18,88,47,000	11,70,000
2	सिविल पूर्ति योजना (18S345600102610652)	16,75,95,000	9,69,000
3	अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना (18S345600789610652)	5,35,58,000	3,21,000
	कुल	**41,00,00,000**	**24,60,000**

(चौबीस लाख साठ हजार मात्र)

12. संबंधित योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक द्वारा NAFED से प्राप्त एवं परिवहन किये गये चना की मात्रा के आधार पर संचलन अनुदान से संबंधित विपत्र तैयार किया जायेगा और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

तदनुसार संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा विपत्रों की जाँचोपरान्त कोषागार से fully vouched bill के रूप में राशि की निकासी की जायेगी। साथ ही, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से जनवितरण प्रणाली दुकान तक परिवहन किये गये चना की मात्रा के आलोक में अनुमान्य डोर स्टेप डिलीवरी की राशि का भुगतान किया जायेगा।

13. उपर्युक्त स्वीकृत राशि से जनवितरण प्रणाली दुकान के माध्यम से प्रवासी/फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के बीच वितरित चना की मात्रा के आलोक में जनवितरण प्रणाली दुकानदार को डीलर कमीशन की राशि अनुमान्य होगी।

14. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे।

15. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी विभागीय स्तर पर अपर मुख्य सचिव, निदेशालय स्तर पर निदेशक एवं जिला स्तर पर उपायुक्त होंगे।

16. संबंधित योजनान्तर्गत आवंटित चना एवं राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिलों द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी। तत्पश्चात् खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय द्वारा आवंटित सम्पूर्ण चना एवं राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

17. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

18. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

29.5

(अरूण कुमार सिंह),
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

अनु०–यथोक्त।

ज्ञापांकः–खा०प्र०–06/चना (प्र०मजदूर)–01/2020–**1307** /राँची, दिनांक – **29.05.2020**

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड/राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एनआईसी, राँची/श्रीमती शिवानी कोड़ाह, तकनीकी निदेशक, एनआईसी, राँची/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम/सभी विशिष्ट अनुमाजन पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय/अवर सचिव, प्रशाखा–3 (बजट प्रशाखा)/विभागीय प्रभारी कम्प्यूटर ऑपरेटर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०–यथोक्त।

29.5.20

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

पत्र संख्या खा० प्र० -06/ डाल -01/20 977

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह, भा0प्र0से0,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 23/04/20

विषय :– प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त दाल का त्वरित वितरण निःशुल्क सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले विभाग का अ0स0प0 सं0–PS-03002/3/2020-PMC dated 18 April, 2020.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में निदेशित किया जाता है कि NAFED के संबंधित पदाधिकारियों के साथ पारस्परिक समन्वयन सुनिश्चित करते हुए प्राप्त दाल का लाभुक परिवारों के बीच त्वरित वितरण सुनिश्चित कराए जाने हेतु अपने स्तर–से समस्त आवश्यक कार्रवाई करते हुए नियमित रूप से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

अनु0 :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

23.4.20

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

D.O.No. 1751 MO CA/F&PD/VIP/2020

राम विलास पासवान
RAM VILAS PASWAN

सत्यमेव जयते

उपभोक्ता मामले,
खाद्य और सार्वजनिक वितरण
मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली-110 001
MINISTER
FOR CONSUMER AFFAIRS,
FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110 001

06 APR 2020

कोरोना के संक्रमण एवं देश-व्यापी Lockdown के मद्देनज़र केन्द्र सरकार द्वारा "**प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना**" की शुरुआत की गई है। जिसके तहत National Food Security Act, 2013 के आच्छादित सभी 81 करोड़ PDS लाभुकों को अगले तीन माह तक 5 किलो प्रति व्यक्ति अतिरिक्त अनाज एवं 1 किलो प्रति परिवार अतिरिक्त दाल का वितरण मुफ्त में किया जाना है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आपके राज्यों के अनाज का आवंटन किया जा चुका है। अतः अनुरोध है कि आपके राज्य के लाभुकों को इस अतिरिक्त आवंटन का वितरण इसी माह से प्रारंभ कर दिया जाए।

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

(राम विलास पासवान)

श्री हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री,
झारखण्ड सरकार,
प्रथम तल, प्रोजेक्ट भवन,
धुर्वा, रांची - 834 004

Office : Room No.179, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001, ☎ 011-23070637, 23070642, Fax : 011-23386098
Resi : 12, Janpath, New Delhi-110 001 ☎ 011-23015249, 23017681